



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230098
CG-DL-E-01102021-230098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]
No. 299]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

मामला सं. एडी (ओआई)-14/2021

विषय : चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लाइसीन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच ।

फा सं 6/14/2021-डीजीटीआर.—1. जबकि मै. पारस इंटरमीडीएट्स प्राइवेट लिमिटेड और एविड ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे इसके पश्चात "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ऑफ्लोक्सेसिन और उसके इंटरमीडीएट्स" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा विशेष रूप से "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात इसे "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात इसे "नियमावली" के रूप में कहा गया है) के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग और आधार

3. मै. पारस इंटरमीडीएट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकों ने संबद्ध देश से, जांच की अवधि के दौरान न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध हैं। एविड आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है। मै. पारस इंटरमीडीएट्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में एक आयात से संबद्ध है, जिसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। तथापि, यह अधिक मात्रा में नहीं है जिससे कि घरेलू बाजार की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।
4. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदकों के उत्पादक के पास समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन में उक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मापदंड को पूरा किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "ग्लाइसीन" है। ग्लाइसीन का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कैमिस्ट्री ("आईयूपीएसी") नाम 2-अमिनोएसेटिक एसिड है। इसे अमीनोएसेटिक एसिड, 2-अमिनोइथानोइक एसिड (आईयूपीएसी सिस्टेमेटिक), और लाइकोकोल के रूप में भी जाना जाता है। इस जांच के दायरे में किसी भी नाम से जानी गई "ग्लाइसिन" शामिल है, क्योंकि ग्लाइसिन का उत्पादन शुद्धता अथवा ग्रेडों के विभिन्न स्तरों पर किया जाता है जैसे क्रूड, इंडस्ट्रियल, टेक्नीकल-ग्रेड, फीड-ग्रेड, फूड-ग्रेड, यू.एस. फार्माकोपिया, अथवा यूएसपी-ग्रेड, आईपी ग्रेड, फूड ग्रेड, और फार्मास्यूटिकल-ग्रेड। इस जांच के दायरे में सभी ग्रेड की ग्लाइसिन शामिल है।
6. ग्लाइसिन एक विशिष्ट सफेद सामग्री, रंगहीन और स्वाद में मीठी है। इसमें शुष्क रूप में, जोकि ऐसा रूप है जिसमें सामान्यतः इसकी बिक्री की जाती है। यह नमक अथवा चीनी जैसा आसानी से प्रवाहित होने वाला क्रिस्टलाइन पदार्थ है। सभी ग्लाइसिन की समान बुनियादी रासायनिक संरचना होती है, ग्राहक विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न शुद्धता के स्तरों की ग्लाइसिन के बीच अंतर कर सकते हैं लेकिन न तो ग्लाइसिन के उत्पादक और न ही उनके ग्राहक ग्लाइसिन को इस तरह से समझ सकते हैं जो कतिपय शुद्धता मापदंडों को पूरा करती है, जिसमें इस बात पर ध्यान दिए बिना अंतर किया जाए कि वह कहां उत्पादित हुई है।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत आता है। ग्लाइसिन एच एस कोड 29224910 के तहत आती है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य एच एस कोड नामतः 29224990 के अंतर्गत आयात किया गया है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भारत को संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, कीमत वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के साथ तुलनात्मक हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी हैं और

इन्हें नियमावली के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" मानी जा रही हैं।

संबद्ध देश

9. वर्तमान पाटनरोधी जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

10. आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021 (12 महीने) है। तथापि, जांच की अवधि में 2017-18, 2018-19, 2019-20 और पीओआई की अवधि शामिल हैं।

सामान्य मूल्य

11. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने बताया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
12. आवेदकों ने प्रस्तावित किया है कि जांच शुरूआत के प्रयोजन हेतु सामान्य मूल्य को तीन विकल्पों में से चुना जाना चाहिए अर्थात् जापान से यू एस ए को निर्यात, भारत से कनाडा को निर्यात अथवा भारत से यू एस ए को निर्यात।
13. तथापि, आवेदकों द्वारा किए गए दावे के समर्थन में उचित औचित्य के अभाव में, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की सामान की उत्पादन लागत और लाभ के लिए उचित वर्धन के सहित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के आधार पर निर्मित किया गया है।

निर्यात कीमत

14. संबद्ध देश के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय माल भाड़ा, संभाल प्रभारों, समुद्री बीमा और बैंक प्रभारों के कारण कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

15. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसके प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

16. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को उल्लेखनीय क्षति पहुंचा रहा है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और बाजार में कीमत ह्रास का कारण बन रहे हैं। उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, लाभों, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभों आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास आया है। पी ओ आई में घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में गिरावट आई है। चीन जन.गण से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसी कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसरण में, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि लगायी जाएगी तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एक जांच की शुरुआत करते हैं।

प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमानजाँच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों **adg12-dgtr@gov.in**, **dir12-dgtr@gov.in** और **jd12-dgtr@gov.in** पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
20. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध उनकी सरकार, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों **adg12-dgtr@gov.in**, **dir12-dgtr@gov.in** और **jd12-dgtr@gov.in** पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाये कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाली सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
33. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध साझा करना

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि सभी हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2021

[Case No. AD (OI) 14/2021]**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Glycine” originating in or exported from China PR.**

F. No.6/14/2021-DGTR.—1. Whereas M/s Paras Intermediates Private Limited and Avid Organics Private Limited (hereinafter referred to as the ‘Applicant’ or the ‘domestic industry’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”) for Anti-dumping investigation concerning imports of “Ofloxacin and its intermediates” (hereinafter referred to as the “subject goods” or specifically as “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The Applicants have alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for initiation of anti-dumping investigation and imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry and Standing

3. The application has been filed jointly by M/s Paras Intermediates Private Limited and Avid Organics Private Limited. The Applicants have neither imported the subject goods during the period of investigation from the subject country nor is related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country. Avid Organics Private Limited is not related to any importer of the product under consideration in India. M/s Paras Intermediates Private Limited is related to an importer in India that has made imports of the subject goods from the subject country during the POI, however, the same are not significant in quantity so as to affect the domestic market situation.
4. As per the evidence available on record, the production of the Applicants account for a major proportion of the total Indian production of the like article. In view of the above, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Product under Consideration

5. The product under consideration in the present Application is “Glycine”. Glycine's International Union of Pure and Applied Chemistry ("IUPAC") name is 2-aminoacetic acid. It is also known as Amino-acetic Acid, 2-aminoethanoic acid (IUPAC systematic), and lycocoll. The scope of this investigation covers “glycine” known by any name. Because glycine is produced at varying levels of purity or grades, it has a number of commercial names based on its level of purity or grade such as crude, industrial, technical-grade, feed-grade, food-grade, U.S. Pharmacopeia- or USP-grade, IP Grade, Food Grade, and pharmaceutical-grade. The scope of this investigation covers glycine of all grades. a
6. Glycine is a typically white material, odorless and sweet to the taste. In its dried form which is the form in which it is ordinarily sold, it is a free-flowing crystalline substance, like salt or sugar. All glycine has the same basic chemical structure, customers may distinguish between glycine of different purity levels for different applications, but neither glycine producers nor their customers perceive glycine that meets certain purity standards to be distinguishable, regardless of where it is produced.
7. Product under consideration falls under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. Glycine comes under HS code 29224910. However, the PUC has been imported also under various other HS Codes namely 29224990.

Like article

8. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject country to India. The subject goods produced by the domestic industry are

comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

Subject Country

9. The subject country in the present investigation is China PR.

Period of Investigation

10. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2020 – March 2021 (12 Months). The injury period of investigation will, however, cover the periods 2017 – 18, 2018 – 19, 2019 – 20 and the POI.

Normal Value

11. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicant that in case the responding Chinese Producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules. The normal value has accordingly been determined in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.
12. The applicants have proposed that for the purpose of initiation normal value may be taken from three of the options i.e., exports from Japan to USA or export from India to Canada or export from India to USA.
13. However, in absence of proper justification in support of the contention made by the applicants, the normal value for China PR has been constructed on the basis of cost of production of like article of the domestic industry and the selling, general and administrative expenses along with reasonable addition for profit.

Export Price

14. The export price for the subject goods from the subject country has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, handling charges, marine insurance and bank charges.

Dumping Margin

15. Considering the normal value and export price determined, dumping margin determined is above de-minimis level. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country is higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country have been exported at dumped prices.

Evidence of Injury and Causal Link

16. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has claimed that the dumping of the product under consideration is causing material injury to the domestic industry. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and causing price depression in the market. The performance of the domestic industry in respect of production, domestic sales, capacity utilization, market share, profits, return on capital employed, cash profits etc., have deteriorated. The overall performance of the domestic industry deteriorated in the POI. There is prima facie evidence of injury to the domestic industry by dumped imports from China PR.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

17. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg12-dgtr@gov.in; dir12-dgtr@gov.in jd12-dgtr@gov.in and jd14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word Format and data files are in MS Excel format.
20. The known producers/exporters in the subject country and their government through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the Product under consideration and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time-Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in; dir12-dgtr@gov.in jd12-dgtr@gov.in and jd14-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
28. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Sharing of responses/submission amongst interested parties

34. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to the ongoing global pandemic.

Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority